U.P. Real Estate Regulatory Authority
Press Note- January 11, 2024

U.P. RERA directs the promoters to file the backlog of Quarterly Progress Reports (QPR)

Lucknow/Gautambudh Nagar- U.P. RERA has issued directions to the promoters of all registered projects to file upto date quarterly progress report of their projects, including the backlogs on the website of U.P. RERA within 15 days.

Shri Sanjay Bhoosreddy, Chairman U.P. RERA stated that while reviewing the progress of the projects, it was seen that many of the promoters are not filing the QPRs of their projects in time and some of them have filed the subsequent QPRs without filing the pending QPRs. Shri Bhoosreddy stated that this is against the requirements of RERA and amounts to violation of the relevant provisions of the RERA Act and directions of U.P. RERA by the concerned promoters.

Therefore, it has been decided to allow the promoters to file the pending QPRs of their projects as well as the QPR of October to December, 2023 quarter by 15th January, 2024. In regular course, the QPRs are required to file within 15 days of the closure of the given quarter. Accordingly, U.P. RERA has modified the facility for filing of QPRs on web portal and hence forward the current QPRs including the QPR for the quarter ending on December 31, 2023 can be filed only after the pending QPRs have been filed by the promoter after depositing the late fees.

These directions of U.P. RERA are intended to ensure compliance of the obligations cast upon the promoters as well as to bring in increased transparency in the sector which will also be conducive to enhancement of the trust between the promoters and the home buyers ultimately leading to healthy growth of the real estate sector.

उ.प्र. भू-सम्पदा नियामक प्राधिकरण

प्रेस नोट- जनवरी 11, 2024

उ.प्र. रेरा ने प्रमोटरों को त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट (QPR) का बैकलॉग भरने का निर्देश दिया

लखनऊ/ गौतमबुद्ध नगर: उ.प्र. रेरा ने सभी पंजीकृत परियोजनाओं के प्रोमोटर्स को उ.प्र. रेरा की वेबसाइट पर बैकलॉग सहित अपनी परियोजनाओं की अप टू डेट त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट 15 दिन के अंदर अपलोड करने के निर्देश जारी किए हैं।

उ.प्र. रेरा चेयरमैन श्री संजय भूसरेड्डी ने कहा कि परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते समय यह पाया गया कि कई प्रोमोटर अपनी परियोजनाओं के क्यूपीआर समय पर दाखिल नहीं कर रहे हैं और उनमें से कुछ ने लंबित क्यूपीआर दाखिल किए बिना बाद या आगे के क्यूपीआर पोर्टल पर अपलोड किए हैं। श्री भूसरेड्डी ने कहा कि प्रोमोटर्स द्वारा ऐसा करना रेरा की आवश्यकताओं के विपरीत है और रेरा अधिनियम के प्रासंगिक प्राविधानों तथा उ.प्र. रेरा के निर्देशों का उल्लंघन है।

इसलिए, प्रोमोटर्स को अपनी परियोजनाओं की लंबित क्यूपीआर के साथ-साथ अक्टूबर से दिसंबर 2023 तिमाही की क्यूपीआर 15 जनवरी 2024 तक दाखिल/ भरने करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। नियमित रूप से, पिछली तिमाही के समापन के बाद क्यूपीआर अगले 15 दिनों के भीतर दाखिल करना आवश्यक है। इसी के अनुसार, उ.प्र. रेरा ने वेब पोर्टल पर क्यूपीआर दाखिल करने की सुविधा को संशोधित किया है और इसलिए प्रोमोटर्स द्वारा 31 दिसंबर 2023 को समाप्त होने वाली तिमाही का क्यूपीआर सहित वर्तमान के सभी क्यूपीआर केवल विलंब शुल्क सहित लंबित क्यूपीआर दाखिल करने के बाद ही अपलोड किया जा सकता है।

उ.प्र. रेरा के इस निर्देश का उद्देश्य प्रोमोटर्स को दिए गए दायित्वों का अनुपालन सुनिश्चित करना है और साथ ही रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाना हैं जो प्रोमोटर्स और घर खरीदारों के बीच विश्वास को बढ़ाने में भी सहायक होगा जिससे अंततः रियल एस्टेट का स्वस्थ विकास होगा।